



## महिला पुलिसकर्मियों के सामाजिक एवं मानसिक शोषण का एक

1. प्रो० (डॉ०) अभय प्रताप सिंह  
2. डॉ० अखिलेश कुमार सरोज

1. प्राचार्य- ए.पी.एन. पी.जी. कॉलेज, बस्ती, 2. असि० प्रोफेसर- समाजशास्त्र, डॉ. राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, ढिंदुई-प्रतापगढ़ (उत्तराखण्ड) भारत

Received-01.08.2024,

Revised-09.08.2024,

Accepted-15.08.2024

E-mail : akhileshsaroj.mspg@gmail.com

**सारांश:** महिला पुलिस कर्मियों का सामाजिक एवं मानसिक शोषण एक गंभीर मुद्दा है, जो उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों को प्रभावित करता है। समाज में महिलाओं के प्रति पारंपरिक धारणाओं के कारण महिला पुलिसकर्मियों को अक्सर उनके कार्यक्षेत्र में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव उनके पेशेवर कार्यों, प्रमोशन और जिम्मेदारियों में देखा जा सकता है। साथ ही, महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करें, जो उनके पेशेवर जीवन पर अतिरिक्त दबाव डालता है। महिला पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल पर मानसिक तनाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसमें लैंगिक असमानता, यौन उत्पीड़न, अपमानजनक भाषा का प्रयोग और कार्य-जीवन संतुलन की समस्याएँ प्रमुख होती हैं। इसके अलावा, उन्हें पुरुष सहकर्मियों से लगातार प्रतिष्पर्धा और असमानजनक व्यवहार सहना पड़ता है। महिला पुलिसकर्मियों को अक्सर कठिन ऊँटी, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और असर्वेदनशील व्यवहार का सामना करना पड़ता है। पुलिस सेवा जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के बावजूद, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने परिवार और बच्चों का भी व्यान रखें। इस कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिला पुलिस कर्मियों का सामाजिक और मानसिक शोषण उनके पेशेवर जीवन की जटिलताओं को और बढ़ा देता है, प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की सामाजिक एवं मानसिक शोषण का अध्ययन कर उनकी समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास है।

## कुंजीशूल शब्द- सामाजिक एवं मानसिक शोषण, व्यक्तिगत जीवन, पारंपरिक धारणा, उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, यौनउत्पीड़न

19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में, महिलाएँ पुलिस बलों में सीमित भूमिकाओं में ही सक्रिय थीं। प्रारंभ में, उन्हें मुख्यतः सामाजिक सेवाओं और महिला संबंधी मामलों में नियुक्त किया गया।

1910 में, अमेरिका की पहली महिला पुलिस अधिकारी, लेडीज पुलिस यूनिट का गठन किया गया। यह यूनिट मुख्यतः महिला और बच्चों से संबंधित मामलों में काम करती थी। 1960 के दशक में, महिलाओं को पूर्ण अधिकारों के साथ पुलिस बलों में शामिल किया जाने लगा और उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ।

भारत में महिलाओं की पुलिस में भूमिका ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुई। 1930 में, दिल्ली पुलिस में कुछ महिलाओं को शामिल किया गया। स्वतंत्रता के बाद, महिलाओं की भूमिका बढ़ी, और 1972 में, महिला पुलिस बलों के लिए एक अलग विंग स्थापित किया गया। वर्तमान में, महिलाएँ विभिन्न पुलिस विभागों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और उच्च पदों तक पहुँच चुकी हैं।

आज, महिला पुलिसकर्मी समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्हें न केवल प्रशासनिक और सामान्य ऊँटी में बल्कि विशेष परिस्थितियों में भी नियुक्त किया जाता है। महिला पुलिसकर्मियों का इतिहास उनके संघर्ष और योगदान को दर्शाता है, जिन्होंने पुलिस बलों में समानता और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

भारतीय संविधान और विभिन्न कानूनी प्रावधान महिला पुलिसकर्मियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हालांकि, लागू किए गए नियम और नीतियाँ असामान्य रूप से प्रभावी नहीं हैं सकतीं, और कई बार उन्हें भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है।

महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती में अब अधिक अवसर हैं, लेकिन चुनौतियाँ बनी रहती हैं। विभिन्न राज्य पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया में अक्सर भेदभाव और कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

महिला पुलिसकर्मियों को अक्सर कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। बाराबंकी जिले की एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के इंस्पेक्टर राजू कुमार पर बलात्कार का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक महिला कांस्टेबल ने अपने सीनियर ऑफिसर द्वारा परेशान किए जाने का खुलासा एक वीडियो के माध्यम से किया उसका कहना था कि जब मैं स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो मैं कैसे समाज की महिलाओं को विश्वास दिलाओं कि मैं उनकी मदद कर पाऊंगी। सितंबर 2018 में 34 महिला पुलिसकर्मियों ने एक इंस्पेक्टर पर शोषण का आरोप लगाया फिर भी मुकदमा दर्ज करने में 4 महीने लगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला पुलिस कर्मियों को मानसिक प्रताङ्कना झेलने पड़ी जब मामला सार्वजनिक हुआ तो इस मामले में कार्रवाई हुई। 5 जून 2019 दैनिक जागरण समाचार पत्र वाराणसी के अनुसार पुलिस लाइन में महिला प्रशिक्षा पुलिस कर्मियों ने लगाया छेड़छाड़ का अरोप, किया प्रदर्शन। 29 जुलाई 2024 हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार दुबगा थाने पर तैनात एक महिला ने थाना प्रभारी पर अभद्रता का आरोप लगाया था। उसने जेसीपी से शिकायत की थी कि थाना प्रभारी महिला कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं और मनमानी ऊँटी लगाते हैं। 17 सितंबर 2024 की यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक महिला इंस्पेक्टर, जिसने एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और उस पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया गया, पुलिस ने कहा। महिला किसी तरह अपने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रही और उसने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बहुत सारी महिला पुलिसकर्मियों जो शोषण का शिकायत हो जाती हैं किंतु लोक लाज के डर से मामले को सार्वजनिक नहीं करती अर्थात् उन्हें पुरुष सहकर्मियों के समान सम्मान और अवसर की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कामकाजी स्थिति, पदोन्नति की संभावनाएँ, और अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक



**कार्य-जीवन संतुलन भी प्रमुख मुद्दे हैं।** भारतीय समाज की पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका और कार्यशीली को प्रभावित कर सकती हैं। सामाजिक अपेक्षाएँ और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अक्सर उनके पेशेवर जीवन पर असर डालती हैं।

महिला पुलिसकर्मियों ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का काम किया है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में। उनकी उपस्थिति ने पुलिसिंग की संवेदनशीलता और समावेशिता को बढ़ाया है। विभिन्न संगठनों और सरकारी प्रयासों के माध्यम से महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति में सुधार की दिशा में काम हो रहा है, जैसे कि विशेष प्रशिक्षण, बेहतर कार्यस्थल सुविधाएँ, और नीतिगत बदलाव। इस प्रकार, भारतीय समाज में महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति एक जटिल और विविध मुद्दा है, जो निरंतर सुधार और समाज के समर्थन की आवश्यकता है।

**पुलिस कर्मियों का सामाजिक शोषण—** महिला पुलिसकर्मियों का सामाजिक शोषण एक जटिल मुद्दा है। संस्थानिक संस्कृति: पुलिस बलों में पुरुषों का वर्चस्व अक्सर महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा करता है। पुरुषों के साथ समान स्थिति प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे उनके पेशेवर विकास और सम्मान में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

महिला पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न और अशिष्ट व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव का सामना कराता है, और उनके पेशेवर प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

**सामाजिक अपेक्षाएँ:** पारंपरिक समाज में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक धारणाएँ महिला पुलिसकर्मियों की क्षमताओं और भूमिकाओं को सीमित कर सकती हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर पुरानी मान्यताएँ उनकी पेशेवर क्षमताओं के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकती हैं। महिला पुलिसकर्मियों को परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। पारिवारिक अपेक्षाएँ और जिम्मेदारियाँ उनके पेशेवर जीवन में बाधक बन सकती हैं।

महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष समकक्षों की तुलना में समान वेतन और पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं होते। आर्थिक असमानताएँ और पदोन्नति की बाधाएँ उनके पेशेवर जीवन को प्रभावित करती हैं। महिला पुलिसकर्मियों को करियर की उन्नति में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उच्च पदों पर पहुँचने में कठिनाईयाँ और कार्यस्थल पर स्थिरता की कमी।

महिला पुलिसकर्मियों के शोषण को रोकने के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। विशेष प्रशिक्षण, जागरूकता अभियानों और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। महिला पुलिसकर्मियों को समर्थन प्रदान करने के लिए समाज और संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें बेहतर कामकाजी माहौल और मानसिक समर्थन प्राप्त हो सकता है। महिला पुलिसकर्मियों का शोषण और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास और समाज में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

**महिला पुलिसकर्मियों का मानसिक शोषण—** महिला पुलिसकर्मियों के मानसिक शोषण की समस्या एक जटिल समस्या है। पुलिस बल एक ऐसा संस्थान है जहाँ परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है, और महिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। यह अध्ययन माहौल पुलिसकर्मियों के मानसिक शोषण के विभिन्न पहलुओं को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित करेगा, जिसमें संस्थानिक भेदभाव, सामाजिक धारणाएँ, और नीतिगत उपाय शामिल हैं। महिला पुलिसकर्मियों का मानसिक शोषण अक्सर संस्थानिक भेदभाव से जुड़ा होता है। पुलिस बल में पुरुषों का प्रभुत्व और परंपरागत विचारधाराएँ महिलाओं के लिए कामकाजी माहौल को प्रतिकूल बना सकती हैं।

पुलिस बल में पुरुषों की बहुलता और उनके सत्तात्मक दृष्टिकोण महिला पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। महिलाओं के प्रति असमानजनक व्यवहार, जैसे कि उन्हें कमतर मानना या उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाना, उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है।

महिला पुलिसकर्मियों को अक्सर कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यौन उत्पीड़न के मामलों में, महिलाओं को अक्सर अपने उत्पीड़कों के खिलाफ कार्रवाई करने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त नहीं होता। इससे उनका मानसिक तनाव और भय बढ़ जाता है।

महिला पुलिसकर्मियों को पदोन्नति और विशेष अवसर प्राप्त करने में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। उन्हें उच्च पदों पर पहुँचने में अतिरिक्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और करियर के प्रति उत्साह को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक धारणाएँ और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह महिला पुलिसकर्मियों के मानसिक शोषण को गहरा कर सकते हैं।

भारतीय समाज में पारंपरिक धारणाएँ महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित करती हैं। महिला पुलिसकर्मियों को अक्सर पारंपरिक भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं से दबाव का सामना करना पड़ता है। जैसे, उनके कामकाजी माहौल में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा और सामाजिक साक्षात्कार की अपेक्षाएँ मानसिक तनाव को बढ़ा सकती हैं।

महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और पेशेवर कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। पारिवारिक अपेक्षाएँ, जैसे कि घर की देखभाल और बच्चों की जिम्मेदारी, उनके पेशेवर जीवन में मानसिक दबाव उत्पन्न कर सकती हैं। इस दोहरी भूमिका का बोझ उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष समकक्षों की तुलना में समान वेतन और पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं होते। आर्थिक असमानता और पदोन्नति की बाधाएँ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वेतन असमानता से उत्पन्न तनाव और असंतोष उनके पेशेवर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।

महिला पुलिसकर्मियों को करियर की उन्नति में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उच्च पदों पर पहुँचने में कठिनाईयाँ और पेशेवर विकास की कमी उनके आत्म-सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।



**महिला पुलिसकर्मियों को सामाजिक और मानसिक शोषण से बचाने हेतु सुझाव—** महिला पुलिसकर्मियों को सामाजिक और मानसिक शोषण से बचाने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए सुझाव इस प्रकार हैं:

1. पुलिस बलों में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को लागू किया जाना चाहिए। इसमें समान वर्तन, पदोन्नति की समान अवसर और कार्यस्थल पर भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई शामिल होनी चाहिए।
2. पुलिस बलों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट और कठोर कानूनी प्रावधान होने चाहिए। उत्पीड़न की घटनाओं की शिकायतों की त्वरित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
3. संस्थानिक संस्कृति में सु सभी पुलिसकर्मियों, विशेषकर अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता और भेदभाव विरोधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण महिला पुलिसकर्मियों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करेगा।
4. कार्यस्थल पर एक सकारात्मक और सहयोगात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें महिलाओं को समान सम्मान और अवसर प्रदान करना और भेदभावपूर्ण व्यवहार की निंदा शामिल होनी चाहिए।
5. महिला पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए समर्पित सेवाएँ और परामर्श उपलब्ध कराना चाहिए। इससे उन्हें तनाव, विंता, और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायता मिल सकती है।
6. महिला पुलिसकर्मियों के लिए सहायता समूह और नेटवर्क बनाए जाएं, जहाँ वे अपनी समस्याएँ साझा कर सकें और समर्थन प्राप्त कर सकें।
7. महिला पुलिसकर्मियों के लिए करियर विकास के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे उनकी पेशेवर क्षमताओं को पहचानने और उन्हें उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
8. महिला पुलिसकर्मियों को पदोन्नति और उच्च पदों पर पहुँचने के समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रमोशन प्रक्रियाएँ लागू की जानी चाहिए।
9. समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाएं। इससे महिला पुलिसकर्मियों को समाज से अधिक समर्थन मिलेगा और भेदभाव में कमी आएगी।
10. परिवार और समाज को महिला पुलिसकर्मियों की पेशेवर भूमिकाओं को समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह उन्हें कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करेगा।

उक्त सुझावों को लागू करके महिला पुलिसकर्मियों के सामाजिक और मानसिक शोषण को कम किया जा सकता है और उनके पेशेवर जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. शर्मा के.के. (2010) पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति एवं समस्याएं ( त्र्यक्ष ) टवस-16
2. कुमार राहुल (2008) "पुलिस विज्ञान पत्रिका"।
3. सारिक्याल अमित "महिला पुलिस अधिकार एवं कर्तव्य" गूगल बुक।
4. अलीम सभीम, (1991) "वूमेन इन इंडियन पुलिस" स्टलिंग पब्लिशर्स।
5. 5 जून 2019 दैनिक जागरण वाराणसी समाचार पत्र।
6. 29 जुलाई 2024 "हिंदुस्तान" लखनऊ समाचार पत्र।
7. [www.jantaserista.com](http://www.jantaserista.com).

\*\*\*\*\*